

अनुदान संख्या 39 – मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 39 - DEPARTMENT OF FISHERIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	805,84,00		
			897,88,00	
पूरक	Supplementary	92,04,00		
				878,58,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-19,29,11
				12,84,96
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	19,16,00		
			19,17,00	
पूरक	Supplementary	1,00		
				4,68,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-14,48,32
				11,53,25

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	2400.00		
			1963.84	
पु.	R.	-436.16		
				1821.82
				-142.02

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
		Total	Actual	Saving -
		grant	expenditure	
		(लाख रुपयों में)		
		(In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मत्स्य पालन	Fisheries			
मू.	O.	21840.00		
पू.	S.	9198.00		
पु.	R.	-4212.80	26825.20	26385.37
				-439.83
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तरपूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	6494.00		
पू.	S.	2.00		
पु.	R.	-6492.84	3.16	..
				-3.16
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to			
सहायता अनुदान	State Governments			
मू.	O.	45150.00		
पू.	S.	2.00		
पु.	R.	9214.84	54366.84	54309.71
				-57.13
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधान मंडल वाले	Grants-in-aid to			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	Union Territory Governments			
को सहायता अनुदान	with Legislature			
मू.	O.	4700.00		
पू.	S.	2.00		
पु.	R.	642.00	5344.00	5341.99
				-2.01

(I) ₹56346.00 लाख का प्रावधान (सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2020-21 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹56344.00 लाख के निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

- (का) मुख्य शीर्ष “2552”
- (क) “मत्स्य पालन – समुद्री मत्स्य पालन – नीली क्रांति” – ₹4975.00 लाख;
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – नीली क्रांति” – ₹909.00 लाख; और
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – नीली क्रांति” – ₹610.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के तहत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त हुआ।

- (खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों” –
- (क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – नीली क्रांति” – ₹35150.00 लाख;
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – नीली क्रांति” – ₹6800.00 लाख।
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – नीली क्रांति” – ₹3200.00 लाख।
- (गा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों”
- (क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – नीली क्रांति” – ₹2500.00 लाख;

(I) Provision of ₹56346.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021) remained wholly unutilised under twelve heads; of these ₹56344.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

- (A) Major Head “2552” -
- (a) “Fisheries - Marine Fisheries - Blue Revolution” - ₹4975.00 lakhs;
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Blue Revolution” - ₹909.00 lakhs; and
- (c) “Tribal Area Sub-Plan - Blue Revolution” - ₹610.00 lakhs.

Provision under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -
- (a) “Central Assistance/Share - Blue Revolution” - ₹35150.00 lakhs;
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Blue Revolution” - ₹6800.00 lakhs; and
- (c) “Tribal Area Sub-Plan - Blue Revolution” - ₹3200.00 lakhs.
- (C) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -
- (a) “Central Assistance/Share - Blue Revolution” - ₹2500.00 lakhs;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – नीली क्रांति” – ₹1500.00 लाख; और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Blue Revolution” - ₹1500.00 lakhs; and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – नीली क्रांति” – ₹700.00 लाख।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Blue Revolution” - ₹700.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को बंद किए जाने तथा नई शुरू की गई पीएमएसवाई स्कीम को कारण निधियों का अंतरण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above six heads remained unutilized due to closure of the scheme and transfer of the funds to the newly launched scheme PMMSY.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – मत्स्य पालन विभाग” – ₹578.18 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, एलटीसी दावे कम प्राप्त होने और कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने की वजह से हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Fisheries” - saving of ₹578.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC claims and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष “2405” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “2405” - savings occurred under the following heads: -

(का) “समुद्री मत्स्य पालन – नीली क्रांति” – ₹3654.59 लाख की बचत (₹19550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); रिक्त पदों को न भरे जाने, कम एलटीसी दावे प्राप्त होने, कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने, मत्स्य पालन संस्थानों में सर्वे पोतों पर लगे अनियत मजदूरों की दिहाड़ी का निपटान न किए जाने, वैज्ञानिक जानकारियों के फैलाने के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठी/स्ट्रीट प्लान का आयोजन न होने और विशाखापट्टम पोर्ट ट्रस्ट को जारी भूमि के पट्टे की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

(A) “Marine Fisheries - Blue Revolution” - saving of ₹3654.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC claims, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic, non-settlement of wages to casual workers on survey vessels in fisheries institutes, non-organising of workshops/symposium/street plan for disseminating the scientific inputs and non-settlement of land leasing issued with Vishakhapatnam port trust.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – नीली क्रांति” – ₹1391.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Blue Revolution” - saving of ₹1391.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – नीली क्रांति” – ₹730.00 लाख की बचत (₹790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Blue Revolution” - saving of ₹730.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹790.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम को बंद किए जाने और नई शुरू की गई पीएमएमएसवाई योजना को निधियों का के अंतरण किए जाने के कारण से हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹60615.84 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹9204.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष “2405” —

(क) “समुद्री मत्स्य पालन — प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)” — ₹575.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹552.28 लाख था।

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना — प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)” — ₹384.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹383.84 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” — “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें”—

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा — प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)” — ₹39444.91 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹39439.40 लाख।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना — प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)” — ₹10069.99 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10069.22 लाख था।

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना — प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)” — ₹4799.94 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4799.09 लाख था।

Savings under the above two heads were due to closure of the scheme and transfer of the fund to the newly launched scheme PMMSY.

2.(I) The above savings were partly (₹60615.84 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹9204.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under the following major heads: -

(A) Major Head “2405” -

(a) “Marine Fisheries - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹575.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹552.28 lakhs.

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹384.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹383.84 lakhs.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹39444.91 lakhs. Actual excess, however, was ₹39439.40 lakhs.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹10069.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹10069.22 lakhs.

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹4799.94 lakhs. Actual excess, however, was ₹4799.09 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें”–

(C) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)” – ₹4142.00 लाख तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4140.49 लाख था।

(a) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹4142.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4140.49 lakhs.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)” – ₹800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹809.64 लाख था।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹809.64 lakhs.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)” – ₹400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹389.86 लाख था।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)” - ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹389.86 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4405”	Major Head “4405”	
मत्स्य पालन पर	Capital Outlay on	
पूंजीगत परिव्यय	Fisheries	
मू.	O.	1916.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-1153.25

(I) “समुद्री मत्स्य पालन – नीली क्रांति” के अंतर्गत ₹1448.32 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1917.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों, मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण प्रभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under “Marine Fisheries - Blue Revolution”- saving of ₹1448.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1917.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to non-materialization of proposal for procurement of machinery and equipment, motor vehicles and requirement of less funds by Central Public Works Department towards construction work.